

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/20/38.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/20/21 दिनांक 03-08-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला सूरजपुर में विद्यमान 26 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 21 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला सूरजपुर के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/2019/20/20 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. जिला सूरजपुर की समितियों के पुनर्गठन हेतु 14 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 29-09-2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सूरजपुर को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सूरजपुर के प्रतिवेदन दिनांक 07-10-2020 द्वारा 10 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 04 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई हैं।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/20/21 दिनांक 03-08-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सूरजपुर के प्रतिवेदन दिनांक 07-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 09-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला सूरजपुर में विद्यमान 26 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 21 नवीन सोसाइटियों का गठन करने की कार्यवाही हेतु “जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सूरजपुर की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियाँ, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियाँ, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से, किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियाँ एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियाँ एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेंगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना 2019

अनुसूची-एक

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
	निरंक	निरंक	निरंक

अनुसूची-दो

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र
1	2	3	4
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लटोरी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कल्याणपुर	कल्याणपुर, अखोरा कला, छतरपुर, रामेष्वरपुर, पोड़िपा, पाठकपुर,

			सुंदरगंज, मंजीरा, मोहनपुर, हरिपुर
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित रामानुजनगर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित उमापुर	उमापुर, पंडरीपानी, बकना, बरहोल, माजा, तिवरागुडी, नकना
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिलफिली	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कसलगिरी	जुडवानी, कसकेला, बलरामपुर, कसलगिरी, बीरपुर, शिवसागरपुर
4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जयनगर		करमपुर
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कंदरई	कैलाषपुर, राजापुर, अर्जुननगर, कंदरई, पेंडरखी, रतनपुर, जमदेई, कोरेया
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित रामनगर	कुमदा, गांगीकोट, लक्ष्मणपुर, खरसुरा, झूमरपारा, दतिमा, रामनगर, करंजी, रामपुर, रुनियाडीह, सुहागपुर, कमलापुर, गोविंदपुर
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सूरजपुर		सरस्वतीपुर
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित डुमरिया	परी, पतरापारा
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मानी	मानी, डेडरी, भरतपुर, सपकरा, सलका, केतका, जोबगा, पोड़ी, लाछा
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमेरा (सरगुजा)		गेतरा
7	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित शिवप्रसादनगर	बड़सरा, बासापारा, भवराही, शिवप्रसादनगर, सोनपुर (षि), खुतरापारा, गंगोटी, डबरीपारा, नावापारा, करौंदामुडा
8	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोविंदपुर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित रेवटी	रेवटी, धौंधा, बटई, सोनडीहा, गोवर्धनपुर, रामपुर, चांचीडांड, डांडकरवा, भेड़िया, पहाड़ करवां
9	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बसदेई	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित डुमरिया	डुमरिया, पसला, पीढ़ा, नेवरा, नवगई, नरेशपुर

अनुसूची-तीन

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित उमेश्वरपुर	कालीपुर, दुर्गापुर, नावापारा खुर्द, महंगई	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित महंगई
		परशुरामपुर, सूरता, मोहनपुर	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित परशुरामपुर
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित पतरापाली	राजापुर, जगरनाथपुर, अक्षयपुर	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चंदरपुर
		साल्ही	—	
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित देवनगर	चंद्रिकापुर, पस्ता, तेलसरा, सोनपुर, आमगांव, कोट, चंदरपुर, पंपापुर	—	

		परसापारा, बरौल, भरुहामुड़ा, उमेशपुर	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कृष्णपुर
4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित पोड़ी	कृष्णपुर, कमलपुर, अगस्तपुर	—	
		पण्डरी, धनेशपुर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित देवनगर	—
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सलका	धरतीपारा, बरौल, केनापारा, करकोली नया, दुग्गा, बरपारा, लक्ष्मीपुर, राई, बतरा, बुंदिया, धरमपुर, सुदामानगर, सोनपुर (सु), करसू, राजकिशोरनगर, डुमरिया, मलगा, तेलगंवा, बरौधी	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बतरा
		जरही, बंशीपुर, कोरन्धा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनगरा	—
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गणेशपुर	ब्रम्हपुर, कंचनपुर, भगवानपुर, फूलकोना, गौरीपुर, कनकपुर, खजूरी, अन्नपूर्णा	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कंचनपुर
		छिंदिया, मकरबंधा, जगतपुर, मदनपुर, केशवपुर, गोकुलपुर, रामेश्वरम्	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित छिंदिया
		टाकर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित प्रेमनगर	—
		नवापाराकला	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बकिरमा
7	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित प्रेमनगर	बकिरमा, कोटेया, महोरा, विध्यांचल, बलदेवनगर, सारसताल, महेशपुर, हरिहरपुर, रामेश्वरनगर, केदारपुर, लक्ष्मणपुर,	—	
8	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित नवगई	टमकी, करवां	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित ओड़गी	—
		मोहरसोप, कछिया, नवडीहा, पडवारी, चोगा, करौटी, जुड़वनिया, कछवारी, रामगढ़, लुल्ह, उमझर, रसौकी, बसनारा, खैरा, बघवई, परसा, तेलईपाट	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहरसोप
9	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित ओड़गी	कैलाशनगर, जेल्हा	—	
		इंदरपुर, कुदरगढ़, बभना, धूर, खोहिरपारा	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित रामपुर
10	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित केवरा	धरसेड़ी, सावारांवा, परसिया, बैजनाथपुर	—	
11	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भैयाथान	रामपुर, भंवरखोह, चपदा, आनंदपुर, करी, कुप्पी	—	
12	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित दवनकरा	जजावल, अंजनी, गोरगी, पकनी, देवरी, घाटपेंडरी, सेमई, दरहोरा, चंदौरा, नवाधक्की, गिरिया	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चंदौरा
13	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित प्रतापपुर	मायापुर-1, डोमहत	—	
		दुकुडांड, चांचीडांड, मसगा, सोनपुर, चन्द्रेली, पोडिपा, नवाडीह, पेण्डारी	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित दुकुडांड
14	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोपालपुर (बलरामपुर)	करसी, मकनपुर, बरबसपुर, सिलफिली, कनकनगर, बुढाडांड	—	